

( राजस्थान-सरकार )

## न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 22/2019

### बउनवान

राज0 सरकार जयें :- श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों

(प्रार्थी)

### बनाम

1. श्री राजेश कुमार गालव पुत्र नन्द किशोर गालव उम्र 52 वर्ष निवासी सिविल लाईन के पास कृष्णा नगर बारों (मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स सुर्या इन्टरप्राइजेज, अटरू रोड बारों
2. श्री मनोज हरचन्दानी पुत्र दयाल दास हरचन्दानी निवासी प्रताप चौक बारों। मैसर्स मूलचन्द बानामल, प्रताप चौक बारों
3. श्री हरिश कुमार पुत्र श्री शितल दास निवासी 1-सी-36 एसएफएस तलवण्डी कोटा (प्रोपराईटर) Rajasthan Agro & General Ind. A263, A&B Road No.5 Indrprastha Ind. Area, Kota.
4. Rajasthan Agro & General Ind. A263, A&B Road No.5 Indrprastha Ind. Area, Kota.

(अप्रार्थीगण)

### जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (11) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :- 1- श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वयं)

2- श्री चन्द्र प्रकाश यादव अभिभाषक ( अप्रार्थी क्रम 1)

3- श्री तक्षराज सिंह अभिभाषक ( अप्रार्थी क्रम 2)

4- श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक(अप्रार्थी क्र. 3व4)

### निर्णय दिनांक 15.09.2020

प्रकरण राजस्थान सरकार जयें :- श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.02.2019 को श्री मैसर्स सुर्या इन्टरप्राइजेज, अटरू रोड बारों पर पहुंचा। वहाँ पर श्री राजेश कुमार गालव पुत्र नन्द किशोर गालव (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 16.02.2019 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया है और जिला बारों के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं।



यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ पोहा (हेल्थी चॉईस) 800 ग्राम पोलीपैक में विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ पोहा (हेल्थी चॉईस) 800 ग्राम पोलीपैक में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों द्वारा खाद्य पदार्थ पोहा (हेल्थी चॉईस) 800 ग्राम पोलीपैक के मूल 04 पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री राजेश कुमार गालव पुत्र नन्द किशोर गालव (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) को राशि 180/- रूपये (अक्षरे एक सौ अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पोहा (हेल्थी चॉईस) 800 ग्राम पोलीपैक के मूल 04 पैकेट को चार नमूना भागो मे अलग-अलग कर मूल पैकेट को प्लास्टिक के डिब्बो मे डालकर, डिब्बो पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-897 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-897 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जापत्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री राजेश कुमार गालव पुत्र नन्द किशोर गालव ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वयं द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारों के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/92 दिनांक 28.03.2019 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 80/FSSA/Kota/Act/2019/147 दिनांक 18.3.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य

पदार्थ पोहा (हेल्थी चॉईस) 800 ग्राम पोलीपैक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 26 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत मिथ्याछाप ( Misbranded ) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स सुर्या इन्टरप्राइजेज, अटरू रोड बारों से पत्रांक 94 दिनांक 28.3.2019 से सूचना चाही गई, जिसकी पालना में मैसर्स सुर्या इन्टरप्राइजेज अटरू रोड बारों द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी, आधार कार्ड एवं क्रय बिल की प्रति कार्यालय में पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 09.08.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ज रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 द्वारा जर्ज अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थिति दी गई। अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर, प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर, उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस राजस्थान सरकार जर्ज प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ पोहा (हेल्थी चॉईस) 800 ग्राम पोलीपैक को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जाँच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा (2) (II) के तहत मिथ्याछाप ( Misbranded ) होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 1 की दुकान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पोहा (हेल्थी चॉईस) 800 ग्राम पोलीपैक वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा था। जिसमें हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। जाँच रिपोर्ट अनुसार जो त्रुटि की गई है वो दुरुस्त कर ली गई है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ज खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 1 यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 80/FSSA/Kota/Act/2019/147 दिनांक 18.3.2019 से असन्तुष्ट था, तो अप्रार्थी क्रम 1 को जर्ज पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जाँच करवाये। किन्तु अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जाँच नहीं करवायी गई है।

मेरे द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन एवं मनन/विश्लेषण करने पर पाया गया कि अप्रार्थी से वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ पोहा (हेल्थी चॉईस) 800 ग्राम पोलीपैक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 80/FSSA/Kota/Act/2019/147 दिनांक 18.3.2019 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा (2) (II) के तहत मिथ्याछाप ( Misbranded ) होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा

2 (II) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को राशि 1,000/-रु., 1,000/-रुपये एवं अप्रार्थी क्रम 3 व 4 को 2,000/-रु., 2,000/- रुपये पत्रावली में कुल जुर्माना राशि 6,000/- रुपये (अक्षरे छः हजार रुपये मात्र) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवाकेन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ने चालान बैंक में निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( मोहम्मद अबूबक्र )  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)